स्वघोषणा पत्र

तम्बाकूमुक्त क्षेत्र

मानदंड 3

{परिसर के अंदर तम्बाकू उत्पादों के उपयोग का कोई सबूत नहीं है, जैसे की सिगरेट/बीड़ीके फेंके गए बट्स या गुटखा/तंबाकू के पाउच, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, थूकने के निशान अदि।}

कोटपा २००३ कानून के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान परिसर के १०० गज के भीतर तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन/प्रचार/प्रायोजन/वितरण/बिक्री सख्त वर्जित है।

हमारे शिक्षा संस्थान ……..... ..... *(संस्था का नाम)* में कोई भी व्यक्ति शिक्षा संस्थान के १०० गज के दायरे में ना तो तंबाकू उत्पादों को अपने पास रखते है /और न ही इस्तेमाल करते है।

स्कूल परिसर में तंबाकू सेवन के कोई सबूत नहीं है; जैसे की सिगरेट/बीड़ी के फेंके गए बट्स /टुकड़े या गुटखा/तंबाकू के पाउच, थूकने के निशान अदि।

प्रधानाचार्य

(दिनांक, हस्ताक्षर और स्टेम्प)

नोटिस

आचार संहिता

तम्बाकूमुक्त विद्यालय

मानदंड 7

शैक्षिक संस्थान की आचार संहिता के दिशानिर्देशों में "तंबाकू का उपयोग न करने" के मानदंड को शामिल करना।

सभी शिक्षकों, अधिकारियों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि, ...(स्कूल का नाम)

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर किसी भी प्रकार के तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का कब्ज़ा, उपभोग और बिक्री और विज्ञापन निषिद्ध है।

• स्कूल परिसर में तम्बाकू उत्पाद और धूम्रपान के साधन जैसे माचिस की तीली, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, लाइटर प्रतिबंधित हैं।

• शैक्षिक संस्थान के परिसर, कार्यक्रमों और प्रकाशनों में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन/प्रचार की अनुमति नहीं है। तंबाकू कंपनियों द्वारा शैक्षिक संस्थान से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का समर्थन या प्रायोजन सख्त वर्जित है।

• किसी भी तंबाकू उत्पाद, तंबाकू कंपनी या तंबाकू के उपयोग के विज्ञापन, प्रचार या प्रायोजन को पोशाक और वर्दी सहित शैक्षिक संस्थान की किसी भी संपत्ति में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। यह नीति शैक्षणिक संस्थान के छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और आगंतुकों को लागू होगी।

इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर COPTA, 2003 की धारा 21 और 24 के तहत संस्थान के प्रिंसिपल/प्रमुख, पुलिस निरीक्षक या खाद्य एवं औषधि प्रशासन (खाद्य निरीक्षक), स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा ।

विद्यालय परिसर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि माता-पिता/छात्र तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हुए पाए जाते हैं, तो तम्बाकू मॉनिटर उन्हें तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करने का प्रयास कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक

नाव : ----------

पद: ---------- ------

स्वघोषणा पत्र

तम्बाकू मुक्त **क्षेत्र**

मानदंड **9**

{शिक्षा संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी दुकान तंबाकू उत्पाद नहीं बेचती है}

COTPA कानून 2003 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान परिसर के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन/प्रचार/प्रायोजन/वितरण/बिक्री सख्त वर्जित है।

- *यदि स्कूल परिसर की सीमा के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकानें **नहीं है:***

मेरे_____ (संस्था का नाम) शिक्षा संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान नहीं है।

- - - -

घोषणापत्र

तम्बाकू मुक्त स्कूल परिसर

हमारा _____

शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक तम्बाकू मुक्त स्कूल अभियान चला रहा है। इसके अनुसार, इस स्कूल परिसर में किसी भी तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं किया जाता।

इसके अलावा, सिगरेट / बीड़ी के टुकड़े या गुटखा / तम्बाकू के पाउच, दिवार पर थूकना और विज्ञापन देना प्रतिबंधित है।

इस शैक्षणिक संस्थान के परिसर में तम्बाकू के उपयोग का कोई सबूत नहीं है।

धन्यवाद !

मुख्याध्यापक,

हस्ताक्षर और स्टँम्प

SALAAM MUMBAI FOUNDATION
TOBACCO - FREE HEALTHY CHILD

everest FOUNDATION

घोषणापत्र

तम्बाकू मुक्त स्कूल परिसर

दिनांक:_____

हमारा _____

शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक तम्बाकू मुक्त स्कूल अभियान चला रहा है। इसके अनुसार, शिक्षण संस्थान के १०० गज के दायरे में सिगरेट या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई भी दुकान नहीं है।

COTPA-2003 कानून, कलम ६ के अनुसार किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के बिक्री पर सख्त मनाई है।

धन्यवाद !

मुख्याध्यापक,

हस्ताक्षर और स्टँम्प

SALAAM MUMBAI FOUNDATION
TOBACCO - FREE HEALTHY CHILD

everest FOUNDATION

तंबाकू मुक्त विद्यालय मॉनिटर्स

स्कूल /संगठन नाम : _____

मुख्याध्यापक का नाम : _____

क्र.	तंबाकू मॉनिटर्स का नांम	पद	फोन नंबर
	शिक्षक नाम: _____	_____	_____
	शिक्षक नाम: _____	_____	_____
	छात्र प्रतिनिधी का नाम: _____	_____	_____
	छात्र प्रतिनिधी का नाम: _____	_____	_____
	छात्र प्रतिनिधी का नाम: _____	_____	_____

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान

शिक्षण संस्थान के १०० गज कें दायरें में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

उल्लंघन पाये जाने पर निम्न अधिकारी को सुचित करें।

नाम _____

पदनाम _____

सम्पर्क अधिकारी _____

हुक्म से

अथवा

क्विटलाईन नंबर : 1800-112-356 पर कॉल करें।(टोल फ्री)

तंबाकू मुक्त परिसर

इस परिसर में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है।

उल्लंघन पाये जाने पर निम्न अधिकारी को सुचित करें।

नाम _____

पदनाम _____

सम्पर्क अधिकारी _____

अथवा

क्विटलाईन नंबर : 1800-112-356

पर कॉल करें। (टोल फ्री)

SALAAM MUMBAI FOUNDATION
TOBACCO - FREE HEALTHY CHILD

everest FOUNDATION

घोषणापत्र

तम्बाकू मुक्त स्कूल परिसर

दिनांक:_____

यह स्कूल _____ के किसी भी कर्मचारी, बच्चे अथवा कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करते और बाहर से आनेवाले कोई भी व्यक्ति को भी इस परिसर में किसी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन करना प्रतिबंधित है।

धन्यवाद !

मुख्याध्यापक,

हस्ताक्षर और स्टँम्प

SALAAM MUMBAI FOUNDATION
TOBACCO - FREE HEALTHY CHILD

everest FOUNDATION